न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 174/2017
पंजीयन दिनांक 04.08.2017

(1). रामनाथ पिता मोडनाथ जाति नाथ निवासी मरमी मृतक के बजाय–

1/1. नन्दानाथ पिता रामनाथ जाति नाथ निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. मोहननाथ पिता रामनाथ जाति नाथ निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1/3. नाथुनाथ पिता रामनाथ जाति नाथ निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1/4. किशननाथ पिता रामनाथ जाति नाथ निवासी मरमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1/5. ऐजी बाई पुत्री रामनाथ पत्नी शंकरनाथ जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी चटावटी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1/6. संतोक बाई पुत्री रामनाथ पत्नी रामनाथ जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी जवानपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1/7. बदाम बाई पुत्री रामनाथ पत्नी सत्तुनाथ जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी नाडाखेड़ा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

1/8. पुष्पा बाई पुत्री रामनाथ पत्नी त्रिलोकीनाथ जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी बूल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). प्रेम देवी पुत्री भैरूनाथ पत्नी शंकरनाथ जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(2). राजेन्द्र पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(3). पप्पु पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(4). छोटू पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(5). रामप्रसाद पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(6). पुष्पा पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(7). सतुबाई पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(8). सीताबाई पिता धन्ना जाति नाथ निवासी मरमी हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील मांडलगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

(9). सरकार जरिये तहसीलदार राशमी, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी
प्रकरण संख्या 117/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017

उपस्थित वक्त बहस–(1). शिवनारायण जाट–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). छोगालाल जाट –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 8
(3). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मरमी तहसील राशमी के खाता सख्यां 383 मे दर्ज आराजी सख्यां 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14 कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा एवं खाता संख्या 382 मे दर्ज आराजी संख्या 269, 1157, 1158, 1159, 1173, 1174, 1175, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244 कुल किता 12 कुल रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या 383 मे दर्ज सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे 2/3 हक व हिस्सा लालनाथ चेला मोडनाथ साकिन आक्या तहसील निम्बाहेड़ा व शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है एवं खाता संख्या 382 मे दर्ज सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे 1/3 हक व हिस्सा लालनाथ चेला मोडनाथ साकिन आक्या तहसील निम्बाहेड़ा व शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे भैरूनाथ के वारिस के रूप मे 1/3 हिस्सा खातेदारी मे गलत रूप से अंकित किया गया है। खातेदार लालनाथ चेला मोडनाथ की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहने से प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाये गये है। प्रतिवादी सख्या 1 अपीलांट का नाम उक्त आराजीयात मे राजस्व रेकॉर्ड मे भैरूनाथ के वारिस के रूप मे खातेदारी मे गलत रूप से दर्ज किया गया है। स्वर्गीय भैरूनाथ जो वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता एवं वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 के दादा है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात से कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 के दादा भैरूनाथ पिता हरनाथ निवासी मरमी के नाम का नामान्तरण फर्जी तरीके से विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण मृतक भैरूनाथ के वैध वारिस होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट ने स्वयं के नाम नामान्तरण खुलवा लिया जो रेस्पोडेन्टगण वादीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है, इस कारण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे भैरूनाथ के वारिस के रूप मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज अंकन को निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 अपीलांट का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्टगण वादीगण को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया व रेस्पोडेन्टगण वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट किसी प्रकार की दखलंदाजी व व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को रहन बक्षीश व हस्तांतरित नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करना बताकर दिनांक 23.12.2015 को जवाबदावा बंद किया गया। तथा पत्रावली मे कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे दिनांक 22.06.2017 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमदेवी का शपथ-पत्र पेश हुआ। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। दिनांक 22.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मरमी मे रखी जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई व पत्रावली वास्ते निर्णय नियत की गई जिसके लिए तारीख पेशी 27.06.2017 लोक अदालत कैम्प रूद मे नियत की गई। दिनांक 27.06.2017 को लोक अदालत के तहत रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण को मृतक खातेदार भैरूनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिस मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व कब्जेयाबी की दाद स्वीकार की जाकर खाता संख्या 382 मे दर्ज आराजी संख्या 269, 1157, 1158, 1159, 1173, 1174, 1175, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244 मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/6 हक हिस्से का व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे लालनाथ चेला मोडनाथ का 1/3 हक हिस्सा व रामनाथ पिता मोडनाथ का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी मे अंकित किये जाने एवं खाता सख्यां 383 मे दर्ज आराजी सख्यां 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14 मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/6 हक हिस्से का व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किये जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण के उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के कब्जे काश्त मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे ओर न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है ।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी सख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 23.12.2015 को पत्रावली मे जवाबदावा बंद किया गया। तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्रावली मे बिना तनकीयात कायम किये वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। पत्रावली दिनांक 28.07.2016 को साक्ष्य वादी नियत की गई जिसे बिना साक्ष्य लिए व बिना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को सूचना दिए दिनांक 22.06.2017 को लोक अदालत मे नियत किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की एकतरफा बहस सुनी जाकर, पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के वास्ते निर्णय नियत की गई, जिसके लिए तारीख पेशी 27.06.2017 लोक अदालत मे नियत की गई जिसकी कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं दी गई। दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली बिना पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की बिना जानकारी के लोक अदालत के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण वादीगण की एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 27.06.2017 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण को मृतक खातेदार भैरूनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिस मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व कब्जेयाबी की दाद स्वीकार की जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलांट प्रतिवादी सख्या का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/6 हक हिस्सा व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे लालनाथ चेला मोडनाथ का 1/3 हक हिस्सा व रामनाथ पिता मोडनाथ का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी मे अंकित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। साथ ही उक्त वर्णित विवादित आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे ओर न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की, जो लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण के परिवार का मूल पुरूष उंकारनाथ था। उकांरनाथ के वारिस उसके दो पुत्र हरनाथ व मोडनाथ थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मोडनाथ का एकमात्र वारिस उसका पुत्र अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 है। तथा हरनाथ का वारिस रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 2 से 8 का परदादा भैरूनाथ है। भैरूनाथ की मृत्यु हो चुकी है। भैरूनाथ का पुत्र धन्नानाथ है जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। धन्नानाथ के वारिस रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 2 से 8 है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात खाता संख्या 383 की आराजी संख्या 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14 के सैटलमेन्ट के पूर्व के आराजी नम्बर 264, 265, 266, 267, 270, 275, 276, 277, 279 होकर लालनाथ चेला मोडनाथ के नाम 2/3 हिस्सा व भैरूनाथ पिता हरनाथ के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

/3 हिस्सा अनुसार दर्ज रेकॉर्ड थी। इसी प्रकार खाता संख्या 382 की आराजी संख्या 69, 1157, 1158, 1159, 1173, 1174, 1175, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244 के सैटलमेन्ट से पूर्व के आराजी नम्बर 140, 144, 339, 340, 361, 571, 572, 573 थे जो लालनाथ चेला मोडनाथ , रामनाथ पिता मोडनाथ एवं भैरूनाथ पिता हरनाथ के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। जिसका जिक्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने प्रस्तुत वादपत्र मे नहीं किया है। साथ ही लालनाथ के वारिस जो कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे संयुक्त खातेदार होने पर भी उनको प्रकरण मे पक्षकार कायम नहीं किया गया है। वादपत्र मे वर्णित खाता संख्या 383 की सम्पूर्ण आराजीयात मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोडनाथ ने भैरूनाथ के दर्ज हिस्से को दिनांक 26.07.1939 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इसी प्रकार खाता संख्या 382 मे वर्णित आराजीयात को दिनांक 18.07.1963 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने भैरूनाथ से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसमे से कुछ आराजीयात भैरूनाथ ने अन्य व्यक्ति हरदास एवं उदयनाथ को विक्रय कर दी उसको भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने हरदास एवं उदयनाथ से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार खाता संख्या 383 एवं 382 मे वर्णित आराजीयात के साबिक आराजी नम्बरान जो सैटलमेन्ट से पूर्व दर्ज थे जिसमे भैरूनाथ पिता हरनाथ के सम्पूर्ण दर्ज हिस्से को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता ने कई वर्षो पूर्व क्रय किया जाकर उक्त क्रयशुदा हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है । परन्तु अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही मे सुनवाई का अवसर नहीं मिलने के कारण उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति मे लोक अदालत के तहत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र पेश कर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना बताकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाये जाने की प्रार्थना की है परन्तु रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने वादपत्र के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजीयात वादीगण के पिता धन्नानाथ के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज रही हो। रेस्पोडेन्टगण वादीगण भैरूनाथ के वारिस है, इस कथन को भी रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं कराया है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण कई वर्षो से कल्याणपुरा मे निवासरत है जिससे कब्जा भी रेस्पोडेन्टगण वादीगण का साबित नहीं होता है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का पुश्तेनी होना साबित होता हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मात्र गवाह पेश नहीं होने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नामान्तरण संख्या 176 को आधार मानकर विगत 50-60 वर्षो से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व की आराजीयात से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने का निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 जो 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति होकर अनपढ़ है पेशी पर उपस्थित हुआ । अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा समय पर जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को वादपत्र मे कार्यवाही की जानकारी नहीं थी इस कारण अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं की ओर से कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नहीं होने को आधार मानकर आदेश 8 नियम 5(2) जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है, जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत वादपत्र को पर्याप्त साक्ष्य से साबित करवाये बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के वादपत्र साबित होना मानकर राजस्व रेकॉर्ड को ध्यान मे नहीं रखते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पास पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत केम्प मरमी मे दिनांक 22.06.2017 व लोक अदालत कैम्प रूद मे दिनांक 27.06.2017 को रखे जाने की कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं दी गई एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से साक्ष्य केम्प मरमी मे पेश हुआ परन्तु उस पर जिरह करने का कोई अवसर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान नही किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि क्रय करने से संबंधित पंजीकृत विक्रय पत्रों को राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद नहीं करा पाया जिसका रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने नाजायज फायदा उठाया है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरण खुलवाने कई बार ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु पूर्व मे ही नामान्तरण संख्या 176 जिसमे क्रयशुदा आराजीयात को विरासत से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होना अंकित है जो कि गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया जिसके लिए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 दोषी नहीं है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने उक्त गलत नामान्तरण को आधार बनाकर वादपत्र प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा की दाद चाही गई जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से दिनांक 23.12.2015 को पत्रावली मे जवाबदावा बंद किया गया। तथा पत्रावली मे कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी मे दिनांक 22.06.2017 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमदेवी का शपथ-पत्र पेश हुआ। अधिवक्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से दिनांक 27.06.2017 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण का मृतक खातेदार भैरूनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिस होना प्रमाणित होने से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा व कब्जेयाबी की दाद स्वीकार की जाकर खाता संख्या 382 मे दर्ज आराजी संख्या 269, 1157, 1158, 1159, 1173, 1174, 1175, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244 मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/6 हक हिस्से का व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे लालनाथ चेला मोडनाथ का 1/3 हक हिस्सा व रामनाथ पिता मोडनाथ का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी मे अंकित किये जाने एवं खाता सख्यां 383 मे दर्ज आराजी सख्यां 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14 मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/6 हक हिस्से का व वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किये जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण के उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के कब्जे काश्त मे प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे ओर न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील अपीलांट प्रतिवादी सख्या 1 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 23.12.2015 को पत्रावली मे जवाबदावा बंद किया गया। तथा पत्रावली मे बिना तनकीयात कायम किये वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। पत्रावली दिनांक 28.07.2016 को साक्ष्य वादी नियत की गई जिसे बिना साक्ष्य लिए व बिना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को सूचना दिए दिनांक 22.06.2017 को लोक अदालत मे नियत किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की एकतरफा बहस सुनी जाकर, पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के वास्ते निर्णय नियत की गई, जिसके लिए तारीख पेशी 27.06.2017 लोक अदालत मे नियत की गई जिसकी कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं दी गई। दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली बिना पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की बिना जानकारी के लोक अदालत के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण वादीगण की एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 27.06.2017 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 117/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा लिया जाकर, साक्ष्य लिवायी जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गुणावगुण पर अजसरे, तनकीवार नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान दिनांक 23.8.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)